(d) As mentioned in reply to part (a) of the question, the National Family Welfare Programme seeks to bring down the rate of growth of population through promoting voluntary acceptance of family planning. The Birth Rate is likely to come down to 24-23 per thousand population, by the end of the IX Plan.

लक्ष्यहीन जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम

2042. **श्री बलबन्त सिंह रामूवालिया:**
श्री बरजिन्दर सिंह :

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 जून, 1998 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "पोपुलैशन कन्ट्रोल प्लॉन उन आईवाश इन यू.पी." शीर्षक से प्रकाशित समाचार की और दिलाया गया हैं

(ख) यदि हां, तो क्या लक्ष्यहीन जनसंख्या नियंत्रण अभियान के तहत देश में जनसंख्या के नियंत्रण की संभावनाएं बहुत कम हैं, और

(ग) यदि नही, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या हैं और ऐसा लक्ष्यहीन जनसंख्या नियंत्रक दृष्टिकोण अपनाने के क्या कारण है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) जी हां।

(ख) जनसंख्या के बारे में योजना आयोग के तकनीकी दल द्वारा किए गए अनुमानों के अनुसार यदि 1981-91 की जनगणनाओं के जनगणना आंकड़ो द्वारा दर्शाया गया रूझान तथा नमूना पंजीयन पद्वति जारी रहती है तो 2.1 प्रजननता दर के प्रतिस्थापन स्तर को वर्ष 2026 तक प्राप्त किए जाने की संभावना की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम के प्रगति धीमी हैं क्योंकि :

(i) परिवारों विशेषकर महिलाओं की शैक्षिक स्थिति जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों के प्रति उनकी अनुक्रिया को प्रबल रूप से प्रभावित करती हैं और उत्तर प्रदेश में शैक्षिक तथा साक्षरता स्थिति में सुधान अब तक धीमा रहा हैं।

(ii) लोगों तथा नेताओं द्वारा खुले रूप में दिया गया समर्थन जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम की और नागरिकों के आचरण को अनुकूल रूप से प्राभावित करता है। उत्तर प्रदेश में खुले ढंग से दिया गया ऐसा समर्थन अब तक कमजोर रहा हैं।

(iii) परिवारों में महिलाओ की स्थिति में सुधार तथा परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार उन्हे जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों के प्रति और अधिक ग्राही बनाता है। उत्तर प्रदेश में इस संबंध में स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जितनी कुछ अन्य राज्यों में हैं।

प्रधान मंत्री ने कुछ समय पूर्व ऐसी ही समस्याओं से ग्रस्त कुछ अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को इन मुद्दों को कारगर ढंग से हल करने के लिए लिखा था।

(ग) ऊपर से लक्ष्य निर्धारित करने की पद्वति में बहुत सी कमियां थीं।

(i) लक्ष्यों से नागरिकों की महसूस की गई आवश्यकताओं की अपेक्षा सरकारी कार्यकर्ताटओं की प्राथमिकता झलकती है।

(ii) एक बार लक्ष्य निर्धारित हो जाते हैं तो ऐसे अनेक लक्ष्यों को प्राप्त करना स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की प्रबल चिन्ता बन जाती हैं और लोगों को दी जाने वाली सेवा की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता हैं।

(iii) अनेक सरकारी कार्यकर्ता बढ़ा-चढ़ाकर सूचना देने का आश्रय लेते हैं ताकि वे किसी तरह यह बता सकें कि लक्ष्य पूरे हो गए हैं।

इसलिए सभी राज्यों, जिनमें उत्तर प्रदेश शामिल हैं, के साथ विस्तृत परामर्श करने के बाद तथा उत्तर प्रदेश के दो जिलों में प्रायोगिक अध्ययन करने के बाद ऊपर से लक्ष्य निर्धारित करने की पद्वति अप्रैल, 1996 से छोड़ दी गई। कुछ अध्ययनों से यह पता चला हैं कि लोगों को दी जाने वाली सेवाओ की गुणवत्ता में, लक्ष्यों को वापिस लेने के बाद पहले ही सुधार होना शुरू हो गया हैं। उत्तर प्रदेश में नसबंदी आपरेशनों में 1996-97 के मुकाबले 1997-98 में 15.4 तक वृद्वि हुई हैं, आई.यू.डी. निवेशनों में 22.3 तक वृद्वि हुई हैं, कंडोम उपयोगकर्ताओं में 15.1% तक वृद्वि हुई हैं और मुख सेव्य गर्भ निरोधक गोलियों के उपयोगकर्ताओं में 41.9% तक वृद्वि हुई हैं। सरकार यह महसूस करती हैं कि ऊपर से लक्ष्य निर्धारण छोड़ने के लिए यह एक प्रगतिशील तथा वाछंनीय सुधार

रहा हैं और सरकार यह आशा करती हैं कि इसके परिणामस्वरूप जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यनिष्पादन में उत्तरोत्तर सुधार होगा।

Spread of AIDS in Gujarat

2043. SHRI AHMED PATEL: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that AIDS cases are on the rise in the State of Gujarat;

(b) if so, the details of AIDS cases detected in the State during the last three years, year-wise and district-wise; and

(c) the remedial measures taken by Government to prevent the dreaded disease in the State from spreading?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI SURESH PRABHU): (a) and (b) The details in respect of AIDS cases in Gujarat during 3 years is as under:—

1995	–	24
1996	–	128
1997	–	134

The National AIDS Control Organisation (NACO) maintains State-wise data only.

(c) The Government of Gujarat proposes to take a number of remedial measures during 1998-99 to prevent the spread of HIV/AIDS. These include activating the functioning of the State Council for Blood Transfusion, effecting improvements in the quality of care of STD services in Government facilities and extending the existing surveillance activities. Besides the proposed strengthening of the State AIDS Cell would contribute to better prevention of the spread of HIV/AIDS. It is also proposed to target the vulnerable population groups for dissemination of information about the transmission and prevention of HIV/AIDS.

एड्स रोगियों के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े

2044. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** :
श्रीमती शबाना आज़मी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी एक रिपोर्ट में प्रकाशित किया हैं कि सन् 2000 तक संसार में 30 से 40 मिलियन लोगों के एड्स रोग से पीड़ित होने की संम्भावना हैं, जिसमें 5 मिलियन रोगी भारतीय होंगे;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने "एड्स" रोग के खतरों को देखते हुए एड्स निरोधक कदम उठाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई कार्य योजना तैयार की हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) यूनेड्स/विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्टो में से एक रिपोर्ट में बहिर्वेशन के आधार पर बताया हैं कि विश्व में 2000 ईसवीं तक 40 मिलियन से अधिक लोग एच. आई.वी. (न कि एड्स रोगी) से ग्रस्त होंगे जिसमें से 2.5 मिलियन एच.आई.वी. से संक्रमित लोग भारतीय होने का अनुमान लगाया गया हैं।

(ख) सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन/यूनेड्स से आवश्यक स्पष्टीकरण मांगा हैं जिन्होने बताया कि यह रिपोर्ट, अन्य बातों के साथ साथ जानपादिक रोग विज्ञान संबंधी अध्ययनों, जनसंख्या आकार, सूचित किए गए एड्स रोगियों इत्यादि के तथ्यों पर आधारित थी और यह एक अनुमान था।

(ग) और (घ) भारत में एच.आई.वी./एड्स के निवारण और इसे फैलने से रोकने के लिए देश भर में इस समय एक वृहद कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा हैं । मुख्य कार्य-नीतियों में निम्नलिखित बातें हैं:-

(I) केन्द्र और राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंध क्षमताओं का सुदृढ़कीरण;

(ii) एच.आई.वी./एड्स के बारे में उच्च जोखिम आचरण वाले समूहो और आम जनता में जागरूकता उत्पन्न करना;

(iii) यौन संचरित रोगों की रोकथाम ;

(iv) रक्त बैकों को उपयुक्त रूप से लाइसेंस देने